कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक-3689 ई-आफिस / JJM / 2025-26/ 414 दिनाँक-03/10/2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनाँक-25/09/2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के साथ जिला सभागार में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ AE/JE,DPMU,TPIA व दोनों फर्म वेलस्पन/VTL के प्रो0 मैनेजर के साथ ब्लाक हेड के द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों,कर्मचारियों एवं VTL व वेलस्पन के प्रो0 मैनेजर को निम्न निर्देशदिये गये -

1. समीक्षा में पाया गया कि IGRS के पोर्टल पर 122 शिकायतें लंबित हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लंबित शिकायतो का निरस्तारण गुणवत्ता पूर्वक दिनाँक-28/09/2025 तक प्रत्येक दशा में किया जाए एवं यह भी ध्यान दिया जाए कि निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता से फीडबैक अवश्य लिया जाए कि " मैं संतुष्ट हूँ "तदुपरान्त उसकी फोटो खींचकर IGRS के पोर्टल पर आख्या अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
2. यह कि O&M की श्रेणी में लाने हेतु प्रथम सूची के अवशेष 02 एवं द्वितीय सूची के 33 पेयजल परियोजनाओं के विवरण पत्र पर यथाशीघ्र कमियों को पूर्ण करके दोनों फर्म सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से हस्ताक्षर कराकर पत्रावली अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को जिला पंचायत राज अधिकारी के पटल पर o&m की श्रेणी में घोषित किए जाने हेतु प्रेषित करें।
3. यह कि जनपद में सृजित 1566 विद्यालयों के सापेक्ष 1001 विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी 2297 के सापेक्ष 1135 केन्द्रों पर गृह संयोजन का कार्य दोनों फार्मो द्वारा किया गया है एवं वर्तमान में 565 विद्यालयों एवं 1162 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गृह संयोजन का कार्य अवशेष है। विवरण पत्र से स्पष्ट है कि सरकारी भवनों पर गृह संयोजन के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। निर्देशित किया जाता है कि दोनों फॉर्म सरकारी भवनों में गृह संयोजन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. यह कि O&M की श्रेणी में आने वाली सभी पेयजल परियोजनाओं में जलापूर्ति की गुणवत्ता की जाँच करतेहुए प्रत्येक दिन तीन बार जलापूर्तिकी कार्यवाही नियमित रूप से की जाए।
5. यह कि O&M की श्रेणी में घोषित सभी पेयजल परियोजनाओं से जलापूर्ति से लाभान्वित परिवारों से ₹50 शुल्क वसूली के लिए निर्धारित शासनदेश के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 30-09-2025
17:03:44

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर को सूचनार्थ।
3. डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
4. अधिशाषीअभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
5. AE/JE जल निगम ग्रामीण को इस आशय के साथ कि निर्देशित सभी विन्दुओं का अक्षरसः अनुपालार्थ।
6. दोनों फर्म वेलस्पन एवं VTL कम्पनीअम्बेडकरनगरको अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

1-GV